दैनिक भास्कर
बिलासपुर भास्कर 09-06-2025

सिटी एंकर

परिवहन उपनिरीक्षक की चयन सूची जारी की गई थी

165 की जगह 164.3 सेमी होने पर नियुक्ति नहीं

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी) पद के लिए चयन सूची में नाम आने के बाद भी एक अभ्यर्थी को नियुक्ति नहीं मिली। उसने वर्ष 2017 में हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। उसने नियुक्ति आदेश रद्द करने और खुद की शारीरिक जांच कराने की मांग की थी। राज्य सरकार ने बताया कि याचिकाकर्ता की ऊंचाई 0.7 सेमी कम थी। इस आधार पर याचिका खारिज कर दी गई। पीएससी ने 27 जुलाई 2016 को परिवहन उपनिरीक्षक (तकनीकी) के पद के लिए विज्ञापन जारी किया गया था। जांजगीर- चांपा में रहने वाले ऋषभ स्वर्णकार ने इसके लिए ऑनलाइन आवेदन किया। लिखित और मौखिक परीक्षा दी। इसके बाद 25 अप्रैल 2017 को जारी चयन सूची में उसका नाम 4थे नंबर पर था। लेकिन नियुक्ति के लिए उसके नाम पर विचार नहीं किया गया। उसे कोई कारण भी नहीं बताया गया। इस पर उसने वर्ष 2017 में ही हाई कोर्ट में याचिका लगाई थी। याचिका में बताया कि उसने जांजगीर- चांपा के जिला अस्पताल में हुए शारीरिक योग्यता परीक्षण में भी भाग लिया था। उसने हाई कोर्ट से विवादित नियुक्ति आदेश को निरस्त करने, अपने हित में परमादेश रिट जारी करने समेत अन्य मांग की थी।

शारीरिक परीक्षण में लिया था भाग

राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि विज्ञापन की शर्तों के अनुसार अभ्यर्थी की न्यूनतम ऊंचाई 165 सेमी होनी चाहिए थी लेकिन याचिकाकर्ता की ऊंचाई 164.3 सेमी पाई गई। इसी कारण उसका चयन नहीं किया गया। उसने शारीरिक परीक्षण में भाग लिया था और दस्तावेजों पर हस्ताक्षर भी किए थे।

विज्ञापन की शर्तें पूरी करना जरूरी

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं। पाया कि याचिकाकर्ता की ऊंचाई तय मानक से कम थी। वह विज्ञापन की शर्तें पूरी नहीं कर सका, इस आधार पर उसका अंतिम रूप से चयन नहीं किया गया। कोर्ट ने कहा कि याचिका पर विचार का कोई आधार नहीं है।